

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर तीन से ग्यारह, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, करियर उन्नयन योजनाओं (सीएएस)/पदोन्नतियों आदि के संबंध में सातवें सीपीसी में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण], 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.61-3/आरआईएफडी/सातवां सीपीसी/2016-17 में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, करियर उन्नयन योजनाओं (सीएएस)/पदोन्नतियों आदि के संबंध में सातवें सीपीसी में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण],

2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.27-4 / एआईसीटीई / आरआईएफडी / वेतनमान / 2018-19 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4094/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25की उप-धारा (3)के अंतर्गत प्रेस परिषद)व्यक्तियों के संघ की अधिसूचना की प्रक्रिया (नियम, 2021, जो 5फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि)102.अ (में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4095/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
 - (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4096/17/21]

- (ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।
(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4097/17/21]

- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4098/17/21]

- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT

4099/17/21]

- (4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी की परिवहन दर और सीएनजी की परिवहन दर का

निर्धारण) विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/1-सीजीडी टैरिफ(1)/2015(पी-2750) में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/ऑथ/1-सीजीडी टैरिफ(16)/2020(पी-2748) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) विनियम, 2020 जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/7-टी4एसपीआई(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4100/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री संतोष गंगावर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, 2019 में जिनेवा में आयोजित अपने 108वें सत्र में हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित अंगीकृत आईएलओ अभिसमय सं 190 .और सिफारिश सं 206 .के बारे में विवरण की एक प्रति)हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण (सभा पटल पर रखता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री प्रह्लाद सिंह पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4102/17/21]

- (ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4103/17/21]

- (ग) (एक) कुमाराकरूप्या फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) कुमाराकरूप्या फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4104/17/21]

- (घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4105/17/21]

- (ङ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4106/17/21]

- (च) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4107/17/21]

- (3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4108/17/21]

- (5) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4109/17/21]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4110/17/21]

(9) (एक) गेडन रेबगेलिंग मोनेस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गेडन रेबगेलिंग मोनेस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4111/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री राज कुमार सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4112/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं संजय शामराव धोत्रे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4114/17/21]

- (3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4115/17/21]

- (5) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4116/17/21]

- (7) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4117/17/21]

- (9) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4118/17/21]

- (11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4119/17/21]

- (13) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष

2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4120/17/21]

(15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4121/17/21]

(16) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4122/17/21]

- (18) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4123/17/21]

- (20) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4124/17/21]

- (22) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4125/17/21]

- (24) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4126/17/21]

- (26) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4127/17/21]

(28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4128/17/21]

- (30) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4129/17/21]

- (32) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत की संविधियां, 2021

जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1007(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1008(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1009(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1010(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1011(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Library, See No. LT 4130/17/21]

(33) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ

शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.1-1/2020 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4131/17/21]

- (34) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एसीडी/7वां सीपीसी/सीएस/2019-20/06 जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार इग्नू में लाइब्रेरियन सहित शिक्षकों की वृत्तिक उन्नति योजना तथा अकादमिकों की व्यवसायिक उन्नति योजना संबंधी अध्यादेश के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4132/17/21]

- (35) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना संख्या सीयूके/एसटीएटी/संशोधन/12, जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जो कोर्ट के गठन संबंधी केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 10 में संशोधन के बारे में है ।

- (दो) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 जो 20 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीयूजे/संविधि/1/2010 में प्रकाशित हुई थी ।
- (तीन) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए), 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या./2361 में प्रकाशित हुई थी ।
- (चार) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 की पहली संविधि जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या डीएचएसजीयू/20/संविधि/7/414 में प्रकाशित हुई थी ।
- (पांच) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां (डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए), 2019 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या डीएचएसजीयू/20/संविधि/7/415 में प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Library, See No. LT 4133/17/21]

- (36) वास्तुकार अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तु कलात्मक शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीए/193/2020/एमएसएई (विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4134/17/21]

- (37) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों के लिए स्वीकृतियां देना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या एबी/एआईसीटीई/आरईजी/2020 (पहला संशोधन, 2021) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4135/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) मास्टर ऑफ फार्मैसी (एम.फार्मा) पाठ्यक्रम (संशोधन) विनियम, 2020, जो 12 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-136/2019-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे ।
 - (दो) फार्मा.डी. (संशोधन) विनियम, 2019, जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-126/2019-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4113/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4136/17/21]

- (3) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4137/17/21]

- (5) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4138/17/21]

- (6) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241

के अंतर्गत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी.069 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4139/17/21]

- (7) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) संशोधन विनियम, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.संख्या आर-40007/6/विनि.-बैठक/अधि./2021-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4140/17/21]

- (8) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.147(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4141/17/21]

- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) कंपनी (बोर्ड की बैठक तथा इसकी शक्तियां) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.589(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण और आवंटन) संशोधन नियम, 2020 जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.642(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवां संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.774(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) कंपनी (सुलह, प्रबंध और समामेलन) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.773(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.794(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.795(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) चौथा संशोधन

नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.806(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2021 जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.44(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.91(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) कंपनी (परिभाषा विवरणों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.92(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) कंपनी (सुलह, प्रबंध और समामेलन) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.93(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) उत्पादक कंपनी नियम, 2021 जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.112(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2021 जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.113(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) कंपनी (परिभाषा विवरणों के विनिर्देश) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.123(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4142/17/21]

(10) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) 2020 का परिपत्र संख्या 9 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है ।
- (दो) 2020 का परिपत्र संख्या 18 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है ।
- (तीन) 2020 का परिपत्र संख्या 21 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 4143/17/21]

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.574(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) चेहराविहीन अपील योजना, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3296(अ) में

प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) का.आ.3297(अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा चेहराविहीन अपील योजना, 2020 को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.664(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) चेहराविहीन शास्ति योजना, 2021 जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.117(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) का.आ.118(अ) जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा चेहराविहीन अपील योजना, 2020 को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4144/17/21]

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ण के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम की धारा 194-ण (4) और धारा 206ग (1-1) के अधीन दिशानिर्देशों वाले 29 सितम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4145/17/21]

(13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) 21 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 05/2021-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) का.आ.446(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) का.आ.489(अ) जो 2 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) 4 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 14/2021-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) का.आ.562(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) का.आ.675(अ) जो 15 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) 18 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि.103(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.116(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 57/2000- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि.117(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की

अधिसूचना संख्या 11/2021- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4146/17/21]

(14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.124(अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों की सिफारिशों के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करने की तारीख, जो कि 29 जुलाई, 2020, से 5 वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एनिलार्न के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि.137(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.06.2017 की अधिसूचना संख्या 29/2017-सी.शु. (एडीडी) को संशोधित करना है जिससे कि अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हई अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलों" पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि.138(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 मार्च, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.150(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में यूरोपीय संघ और सिंगापुर से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनाॅल पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 7 जून, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि.153(अ) जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ.सं.6/6/2020-डीजीटीआर द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिपाटन शुल्क के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पाउडर फॉर्म में ब्लैक टोनर' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4147/17/21]

(15) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.160(अ) जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं.13/2020-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

[Placed in Library, See No. LT 4148/17/21]

12.01 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA